

नवजात शिशु – दस्तावेज़ों की सूची

वह कागज़ी काम जो अस्पताल में कोई आपको नहीं देता। अधिकतर की समय-सीमा होती है, और वे छोटी होती हैं।

पहले कुछ हफ़्तों में

- ☐ **जन्म प्रमाणपत्र – प्रमाणित प्रतियाँ लें, एक से अधिक**
स्कूल, पासपोर्ट और लाभ – सभी प्रमाणित प्रति माँगते हैं, और कोई वापस नहीं करता।
- ☐ **बच्चे की राष्ट्रीय पहचान संख्या**
अमेरिका: सोशल सिक्योरिटी नंबर, आम तौर पर जन्म पंजीकरण फ़ॉर्म पर ही मिलता है। भारत: बच्चे का आधार नामांकन।
- ☐ **बच्चे को स्वास्थ्य बीमा में जोड़ें**
असली समय-सीमा इसी की होती है – आम तौर पर जन्म से 30 से 60 दिन। चूक गए तो अगली नामांकन अवधि तक इंतज़ार करना पड़ सकता है।

यात्रा से पहले

- ☐ **बच्चे का पासपोर्ट**
अमेरिका: 16 से कम आयु के लिए 5 वर्ष, और दोनों अभिभावकों का उपस्थित होना ज़रूरी। भारत: 5 वर्ष या 18 वर्ष तक, दोनों अभिभावकों के पासपोर्ट और Annexure D के साथ।
- ☐ **वीज़ा या OCI, यदि बच्चे की नागरिकता आपसे अलग है**

पहले दिन से सँभालकर रखें

- ☐ **टीकाकरण रिकॉर्ड – हर स्कूल इसे माँगेगा**
- ☐ **अस्पताल का डिस्चार्ज सारांश और नवजात स्क्रीनिंग परिणाम**

इसी दौरान

- ☐ **बच्चे को अपने रिकॉर्ड में जोड़ें – बीमा, लाभ, नियोक्ता**
- ☐ **अभिभावक नामित करें, और लिखें कि बच्चे के लिए कौन कार्य कर सकता है**

यह दस्तावेज़ों की सूची है, क़ानूनी सलाह नहीं। समय-सीमाएँ और दस्तावेज़ राज्य और बीमाकर्ता के अनुसार बदलते हैं – अपने से पुष्टि करें।

ssa.gov/number-card; travel.state.gov passport (minors); passportindia.gov.in minors + Annexure D; uidai.gov.in (accessed 2026-06-26)